न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, सहारनपुर।

सरकार बनाम बाबूराम

धारा-63 आबकारी अधि.
थाना- सरसावा, सहारनपुर।
मु.अ.स – 136/ 2026

29.04.2026

मु.अ.स – 136 / 2026, अन्तर्गत धारा -63 आबकारी अधि. थाना- सरसावा जिला सहारनपुर के अन्तर्गत अभियुक्त **बाबूराम** की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का स्थायी निवास है। प्रार्थी अपनी जमानत कराना चाहता है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानती पेश करने को तैयार है। प्रार्थी दिनांक 28.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त दिनांक 28.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त **बाबूराम** द्वारा **20,000 /- रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूगण दाखिल करने पर अवमुक्त किया जाता है।

प्र. ए०सी०जे०एम० – तृतीय
सहारनपुर